न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर(प्रथम) जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री जवाहर चौधरी आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. :–168 / 2025

जीसीएमएस नम्बर :– 2025 / 463

अपीलार्थीपक्ष :–

1. भीखाराम पुत्र खुशालाराम
2. मोहनराम पुत्र खुशालाराम
3. पुखाराम पुत्र खुशालाराम
4. ताजाराम पुत्र खुशालाराम
5. प्रवीण कुमार पुत्र खुशालाराम

जातियान जाट निवासीयान ग्राम मूलजी का बेरा चामू तहसील चामू जिला जोधपुर।

बनाम

प्रत्यर्थीगण :–

1. श्रीमती माडू देवी पत्नी हुक्माराम
2. श्रीमती मोहनी देवी पुत्री हुक्माराम जातियान जाट निवासी ग्राम श्रीरामनगर खाबड़ाखुर्द तहसील ओसियां जिला जोधपुर।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार चामू जिला जोधपुर।

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 786 ग्राम मूलजी का बेरा तहसीलदार चामू द्वारा दिनांक 20.08.2025 को पारित किया गया।

उपस्थिति :–

1. अधिवक्ता श्री रामप्रकाश प्रजापत (अपीलार्थीपक्ष की ओर से)
2. अधिवक्ता श्री ए.आर. बेनिवाल (प्रत्यर्थी संख्या 01 व 02 की ओर से)

राजस्व अपील सं. :–169 / 2025

जीसीएमएस नम्बर :– 2025 / 464

अपीलार्थीपक्ष :–

1. भीखाराम पुत्र खुशालाराम
2. मोहनराम पुत्र खुशालाराम

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

3. पुखाराम पुत्र खुशालाराम
4. ताजाराम पुत्र खुशालाराम
5. प्रवीण कुमार पुत्र खुशालाराम

जातियान जाट निवासीयान ग्राम मूलजी का बेरा चामू तहसील चामू जिला जोधपुर।

बनाम

प्रत्यर्थीगण :–

1. श्रीमती माडू देवी पत्नी हुक्माराम
2. श्रीमती मोहनी देवी पुत्री हुक्माराम जातियान जाट निवासी ग्राम श्रीरामनगर खाबड़ाखुर्द तहसील ओसियां जिला जोधपुर।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार चामू जिला जोधपुर।

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 357 ग्राम सारणनगर तहसीलदार चामू द्वारा दिनांक 20.08.2025 को पारित किया गया।

उपस्थिति :–

1. अधिवक्ता श्री रामप्रकाश प्रजापत (अपीलार्थीपक्ष की ओर से)
2. अधिवक्ता श्री ए.आर.बेनिवाल (प्रत्यर्थी संख्या 01 व 02 की ओर से)

राजस्व अपील सं. :–187/2025

जीसीएमएस नम्बर :– 2025/501

अपीलार्थीपक्ष :–

1. भीखाराम पुत्र खुशालाराम
2. मोहनराम पुत्र खुशालाराम
3. पुखाराम पुत्र खुशालाराम
4. ताजाराम पुत्र खुशालाराम
5. प्रवीण कुमार पुत्र खुशालाराम

जातियान जाट निवासीयान ग्राम मूलजी का बेरा चामू तहसील चामू जिला जोधपुर।

बनाम

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

प्रत्यर्थीगण :–

1. श्रीमती माडू देवी पत्नी हुक्माराम
2. श्रीमती मोहनी देवी पुत्री हुक्माराम जातियान जाट निवासी ग्राम श्रीरामनगर खाबड़ाखुर्द तहसील ओसियां जिला जोधपुर।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार चामू जिला जोधपुर।

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 2529 ग्राम चामू तहसीलदार चामू द्वारा दिनांक 20.08.2025 को पारित किया गया।

उपस्थिति :–

1. अधिवक्ता श्री रामप्रकाश प्रजापत (अपीलार्थीपक्ष की ओर से)
2. अधिवक्ता श्री ए.आर. बेनिवाल (प्रत्यर्थी सं. 01 व 02 की ओर से)

राजस्व अपील सं. :–188/2025

जीसीएमएस नम्बर :– 2025/502

अपीलार्थीपक्ष :–

1. भीखाराम पुत्र खुशालाराम
2. मोहनराम पुत्र खुशालाराम
3. पुखाराम पुत्र खुशालाराम
4. ताजाराम पुत्र खुशालाराम
5. प्रवीण कुमार पुत्र खुशालाराम

जातियान जाट निवासीयान ग्राम मूलजी का बेरा चामू तहसील चामू जिला जोधपुर।

बनाम

प्रत्यर्थीगण :–

1. श्रीमती माडू देवी पत्नी हुक्माराम
2. श्रीमती मोहनी देवी पुत्री हुक्माराम जातियान जाट निवासी ग्राम श्रीरामनगर खाबड़ाखुर्द तहसील ओसियां जिला जोधपुर।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार चामू जिला जोधपुर।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 324 ग्राम बगतानगर तहसीलदार चामू द्वारा दिनांक 20.08.2025 को पारित किया गया।

उपस्थिति :–

1. अधिवक्ता श्री रामप्रकाश प्रजापत (अपीलार्थी पक्ष की ओर से)
2. अधिवक्ता श्री ए.आर. बेनीवाल (प्रत्यर्थी सं. 01 व 02 की ओर से)

निर्णय **दिनांक :–27.03.2026**

1. उपर्युक्त चारों अपीले राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत, तहसीलदार चामू द्वारा ग्राम मूल जी का बेरा के नामान्तरकरण संख्या 786, ग्राम सारणनगर के नामान्तरकरण सख्या 357, ग्राम चामू के नामान्तरकरण सख्या 2529, ग्राम बगतानगर के नामान्तरकरण सख्या 324 पर तहसीलदार, चामू द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.08.2025 से व्यथित होकर इस न्यायालय में दिनांक 10.10.2025 को पेश की गई। प्रत्येक अपील के साथ, अपील पेश करने में हुई देरी को कन्डोन करने हेतु एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम, 1963 मय शपथ–पत्र भी पेश किया गया है।
2. उक्त चारों प्रकरणों में समान पक्षकार होने, विवादास्पद तथ्यों की समान प्रवृति, समान विषयवस्तु, समान विधिक प्रश्न, समान विधिक प्रावधान एवं मांगा गया अनुतोष समान प्रकार का होने से, उक्त चारों अपीलों का निस्तारण एक ही निर्णय से किया जाना सुविधाजनक एवं निर्णय में एकरूपता रखने की दृष्टि से न्यायोचित है। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की सहमति से इनका निस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहा है ताकि विरोधाभासी निर्णयों से बचा जा सके। निर्णय की मूल प्रति प्रत्येक पत्रावली में शामिल की जावे।
3. अपील मीमों में अंकित अभिवचनों अनुसार प्रकरणों के संक्षिप्त एवं सारभूत तथ्य इस प्रकार है:–

A. अपील संख्या 168/2025 (2025/463) (भीखाराम वगैरह बनाम श्रीमती माडू देवी)–ग्राम मूलजी का बेरा पटवार हल्का चामू की वादग्रस्त आराजी के खसरा नम्बर 2286 रकबा 6.6206 हैक्टर, ख.न. 2172 रकबा 0.2347 हैक्टर, ख.न. 2173 रकबा 2.0882 हैक्टर ख.न. 2218 रकबा 0.3642 हैक्टर, ख.न. 2227 रकबा 0.3885 हैक्टर, ख.न. 2228

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

रकबा 2.8004 हैक्टर, ख.न. 2285 रकबा 20.1553 हैक्टर, ख.न. 2291 रकबा 13.5974 हैक्टर भूमि को अपीलांट्स के पक्ष में पंजिकृत दानपत्र के आधार पर नाम राजस्व रेकर्ड में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किया गया। अपीलांट्स ने खातेदारी भूमि पर बैंक से ऋण की सुविधा प्राप्त कर रखी है। अपीलाधीन नामांतरकरण न्यायालय के आदेश की पालना में पारित करना बताया है, जिसमें अपीलांट्स को पक्षकार नहीं बनाया गया। पक्षकार बनाकर सुनवाई का अवसर दिये बिना न्यायालय का आदेश अपीलांट्स पर लागू नहीं होता है। तहसीलदार द्वारा सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन नामांतरकरण सं. 786 दिनांक 20.08.2025 को पारित कर दिया, जो विधिक प्रावधानों के विपरीत होने के कारण काबिल खारिज होने से खारिज फरमाया जावे।

B. **अपील संख्या 169/2025 (2025/464) (भीखाराम वगैरह बनाम श्रीमती माडू देवी वगैरह)**–ग्राम सारण नगर पटवार हल्का चामू की वादग्रस्त आराजी के खसरा नम्बर 1668 रकबा 17.0291 हैक्टर भूमि कों अपीलांट्स के पक्ष में पंजिकृत दानपत्र के आधार पर नाम राजस्व रेकर्ड में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किया गया। अपीलांट्स ने खातेदारी भूमि पर बैंक से ऋण की सुविधा प्राप्त कर रखी है। अपीलाधीन नामांतरकरण न्यायालय के आदेश की पालना में पारित करना बताया है, जिसमें अपीलांट्स को पक्षकार नहीं बनाया गया। पक्षकार बनाकर सुनवाई का अवसर दिये बिना न्यायालय का आदेश अपीलांट्स पर लागू नहीं होता है। तहसीलदार द्वारा सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन नामांतरकरण सं. 357 दिनांक 20.08.2025 को पारित कर दिया, जो विधिक प्रावधानों के विपरीत होने के कारण काबिल खारिज होने से खारिज फरमाया जावे।

C. **अपील संख्या 187/2025 (2025/501) (भीखाराम वगैरह बनाम श्रीमती माडू देवी वगैरह)**–ग्राम चामू पटवार हल्का की वादग्रस्त आराजी के खसरा नम्बर 2174 रकबा 4.6701 हैक्टर भूमि कों अपीलांट्स के पक्ष में पंजिकृत दानपत्र के आधार पर नाम राजस्व रेकर्ड में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किया गया। अपीलांट्स ने खातेदारी भूमि पर बैंक से ऋण की सुविधा प्राप्त कर रखी है। अपीलाधीन नामांतरकरण न्यायालय के आदेश की पालना में पारित करना बताया है, जिसमें अपीलांट्स को पक्षकार नहीं बनाया गया। पक्षकार बनाकर सुनवाई का अवसर दिये बिना न्यायालय का आदेश अपीलांट्स पर लागू नहीं होता है। तहसीलदार द्वारा सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन नामांतरकरण सं. 2529 दिनांक 20.08.2025 को पारित कर दिया, जो विधिक प्रावधानों के विपरीत होने के कारण काबिल खारिज होने से खारिज फरमाया जावे।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

D. <u>अपील संख्या 188/2025 (2025/502) (भीखाराम वगैरह बनाम श्रीमती माडू देवी वगैरह)</u>—ग्राम बगतानगर पटवार हल्का चामू की वादग्रस्त आराजी के खसरा नम्बर 110 रकबा 3.6826 हैक्टर भूमि को अपीलांट्स के पक्ष में पंजिकृत दानपत्र के आधार पर नाम राजस्व रेकर्ड में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किया गया। अपीलांट्स ने खातेदारी भूमि पर बैंक से ऋण की सुविधा प्राप्त कर रखी है। अपीलाधीन नामांतरकरण न्यायालय के आदेश की पालना में पारित करना बताया है, जिसमें अपीलांट्स को पक्षकार नहीं बनाया गया। पक्षकार बनाकर सुनवाई का अवसर दिये बिना न्यायालय का आदेश अपीलांट्स पर लागू नहीं होता है। तहसीलदार द्वारा सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन नामांतरकरण सं. 324 दिनांक 20.08.2025 को पारित कर दिया, जो विधिक प्रावधानों के विपरीत होने के कारण काबिल खारिज होने से खारिज फरमाया जावे।

4. अपीलें दर्ज रजिस्टर कर, प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी किए गए। प्रत्यर्थीगण सं. 01 व 02 की ओर से श्री ए.आर. बेनिवाल, एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय से मूल अभिलेख तलब किया गया।
5. उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की उक्त चारों अपीलों पर बहस सुनी गई।
6. अपीलांट्स के विद्वान अधिवक्ता श्री रामप्रकाश प्रजापत ने अपील मीमों में अंकित अभिवचनों को दोहराते हुए कथन किया कि मौजा मूलजी का बेरा पटवार हल्का चामू के खसरा संख्या 2286 रकबा 6.6206 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2172 रकबा 0.2347 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2173 रकबा 2.0882 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2218 रकबा 0.3642 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2227 रकबा 0.3885 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2228 रकबा 2.8004 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2285 रकबा 20.1533 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2291 रकबा 13.5974 हैक्टेयर अपीलांटस के पक्ष में दिनांक 09.09.2021 को पंजीकृत दानपत्र के आधार पर अपीलांटस का नाम राजस्व रेकर्ड में बतौर खातेदार काश्तकार है एवं मौके पर अपीलांटस का कब्जा काश्त है। अपीलांटस ने खातेदारी भूमि पर स्टेट बैंक आफ इंडिया से ऋण की सुविधा प्राप्त कर रखी है। तहसीलदार चामू द्वारा अपीलांटस को विवादित आराजी में प्रभावित पक्षकार होने के बावजूद सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 786 दिनांक 20.08.2025 एवं इसी प्रकार अन्य नामांतरकरण सं. 357 दिनांक 20.08.2025, नामांतरकरण सं. 2529 दिनांक 20.08.2025 एवं नामांतरकरण सं. 324 दिनांक 20.08.2025 को पारित कर दिया। अपीलाधीन नामान्तरकरण न्यायालय के आदेश की पालना में पारित किया गया लेकिन अपीलांट्स को न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस का हक–हिस्सा कम

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

दर्ज कर दिया गया लेकिन न्यायालय के आदेश में अपीलांटस का हक–हिस्सा कम करने का कोई आदेश ही नहीं है। वादग्रस्त आराजी बैंक में गिरवी है एवं जब तक रहन मुक्त नहीं कर दी जाती तब तक राजस्व रेकर्ड में किसी प्रकार से अमल दरामद नहीं किया जा सकता है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने धारा 5 म्याद अधिनियम प्रार्थना पत्र पर अपनी मौखिक बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्टस अधिवक्ता द्वारा जबाव प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया है। अपील पेश करने में हुई देरी सद्भावी है। अतः अपील पेश करने में हुई देरी को कन्डोन कर धारा 5 म्याद अधिनियम प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जावे एवं अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरणों को अपास्त किया जावे।

7. अपीलांट्स अधिवक्ता की उपरोक्त बहस का खण्डन करते हुए प्रत्यर्थीगण के विद्वान अभिभाषक श्री ए.आर. बेनिवाल ने अपनी मौखिक बहस में कथन किया कि खुशालाराम अपीलांट के पिता थे तथा खुशालाराम ने अपील करके स्थगन आदेश रद्द करवा लिया तथा खुशालाराम ने अपीलांट के पक्ष में दानपत्र निष्पादित कर आराजी हस्तानान्तरित कर दी। अतः अपीलांट का कथन गलत है कि उक्त दावा विचाराधीन होने का ज्ञान उन्हे नहीं था। तहसीलदार, चामू द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बालेसर न्यायालय से दिनांक 11.08.2025 को दावा में जारी निर्णय एवं डिक्री की पालना में सभी अपीलाधीन चारों नामान्तरकरण पारित किये गये है। अपीलांट्स ने मूल आदेश दिनांक 11.08.2025 उपखण्ड अधिकारी बालेसर की अपीलें राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर में दायर कर रखी है। अतः अपीलांट्स को उक्त नामान्तकरण की अपील पेश करने का अधिकार ही नही है। जब तक आदेश कायम रहता है, तब तक उक्त नामान्तरकरणों की अपील करना निरर्थक है। अतः अपीले सारहीन एवं बलहीन है। यदि मूल आदेश अपास्त होता है तो उसकी पालना में किये गये नामान्तकरण स्वतः ही अपास्त हो जायेंगें। अतः चारों अपीलें कॉस्ट के साथ खारिज की जावे।

8. प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता की उक्त बहस का प्रत्युतर देते हुए अपीलांट्स के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि दानपत्र के जरिये अपीलांट्स के पक्ष में हस्तानान्तरित आराजी के बारे में प्रत्यर्थीगण को जानकारी रही है। दानपत्र की जानकारी होने के बावजूद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालेसर से प्रत्यर्थीगण ने अपने पक्ष में निर्णय पारित करवा लिया, जिसमें अपीलांटस को पक्षकार भी नहीं बनाया गया तथा न ही उन्हे नोटिस जारी किये गये एवं न ही उन्हे सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। अपीलाधीन नामान्तरकरणों को स्वीकृत करते समय तहसीलदार के दायित्व एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त अनुसार अपीलांट्स जो कि आराजी के सहखातेदार है, को सुनवाई हेतु नोटिस

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

दिया जाना चाहिये परन्तु अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। अतः चारों अपीलाधीन नामान्तरकरण अपास्त योग्य है। डिक्री आदेश की अपील राजस्व अपील प्राधिकारी में हो जाने से इस न्यायालय में अपील पेश किये जाने में बाधक नहीं होने से पेश की गई अपील विधि प्रावधानों के अनुसार है। अतः आक्षेपित नामान्तरकरण प्रारंभतः शून्य होने से अपास्त किया जावे। प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने उपरोक्त तर्क का प्रत्युतर देते हुए कथन किया कि आदेश/डिक्री की पालना में स्वीकृत नामान्तरकरण को अपास्त नहीं किया जा सकता जब तक कि उक्त आदेश/डिक्री निरस्त न हो जाये। दावा पेश करते समय सभी सह खातेदारों को आवश्यक पक्षकार बना दिया गया था, दावा के दर्ज होने के पश्चात किसी भी नये जुड़े सहखातेदार को पक्षकार नहीं बनाया जा सकता। राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर में भी अपील का निर्णय हो चुका है, जिसकी प्रमाणित प्रति अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है। अतः अपीलाधीन नामान्तरकरणों की पुष्टि की जाकर उक्त चारों अपील को निरस्त फरमावे।

9. हमने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अध्ययन कर उस पर गहनता से मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल अभिलेख का अवलोकन किया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत कथनों एवं तर्कों का भली भांति अध्ययन कर उस पर गहनता से मनन किया तथा प्रकरण के तथ्यों पर लागू विधि प्रावधानों का अवलोकन किया।

10. सर्वप्रथम अपीलान्ट्स द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी को कन्डोन करने बाबत् प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम का विनिश्चय करना न्यायोचित है। प्रत्यर्थीपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का लिखित जवाब मय शपथ पत्र पेश कर खण्डन नहीं किया गया है तथा न ही ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश किया गया है जिससे यह साबित हो कि अपीलांट्स को अपीलाधीन नामान्तरकरण की शुरू से ही जानकारी रही हो। अपीलांट्स द्वारा अपील पेश करने मे हुई देरी को कन्डोन करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद एक्ट में अंकित कारण पर्याप्त एवं संतोषजनक प्रतीत होते है। जानकारी के अभाव में नामान्तरकरण की अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक रूप से हुई है एवं अपील प्रस्तुत करने में बहुत ही कम अवधि की देरी होने से तथा प्रकरण के कानूनी तथ्यों व परिस्थतियों को देखते हुए न्यायहित में प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा अपील पेश करने में हुई देरी क्षम्य की जाती है तथा अपील अन्दर म्याद प्रस्तुत होना शुमार की

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

जाती है। अपील पेश करने में हुई देरी को क्षम्य किया जाकर प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर निर्णित करना हम न्यायहित में उचित मानते है।

11. निर्विवाद रूप से हस्तगत प्रकरण में संपति पुश्तैनी कृषि भूमि है, जिसमें राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 40 के प्रावधानानुसार टिनेन्ट्स के व्यक्तिगत कानून अनुसार कृषि भूमि में अधिकार, हित, आधिपत्य के अधिकारों का न्यायगमन होगा तथा इसमें काश्तकार की मृत्यु होने पर संपति कानूनी प्रावधानानुसार उत्तराधिकारियों में उनके व्यक्तिगत कानून अनुसार न्यायगमित होकर निहित हो जाती है, जो इस प्रकरण में रेस्पोडेन्ट्स पर लागू होते है।

12. हमारा विनिश्चिय इस प्रकार है कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 के अनुसार रेस्पोडेन्ट्स श्रीमती मांडू देवी एवं श्रीमती मोहनी देवी मृतक हुक्माराम के प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारिणी है तथा वह भी स्वर्गीय हुक्माराम के हिस्से में आई विवादित आराजी में अपीलाधीन नामान्तरकरणों में अंकित खसरान् की भूमि में मृतक हुक्माराम के अन्य विधिक वारिसान् के समान हक/हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारिणी है। नामान्तरकरण की कार्यवाही एक संक्षिप्त/समरी कार्यवाही है तथा यह मात्र एक FISCAL PROCEEDINGS है जिसका उद्देश्य केवल राजस्व अभिलेखों का संधारण एवं अद्यतन करना है तथा इसके माध्यम से पक्षकारों के स्वामित्व अधिकारों का अंतिम निर्धारण नहीं किया जा सकता। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि नामान्तरकरण के जरिए पक्षकारों के हित, हक–हकूकों, अधिकारों, स्वत्वों, आधिपत्यों इत्यादि विवादों का निर्धारण नहीं किया जा सकता। उक्त प्रकार के विवादों का निर्धारण सिर्फ सक्षम न्यायालय द्वारा नियमित वाद में ही किया जा सकता है, जिसमें उभयपक्षों की अभिलेखीय/मौखिक इत्यादि प्रकार की साक्ष्य ली जाकर अभिवचनों के आधार पर विरचित विवाद्यकों का निर्धारण कर, न्यायालय सुविचारित निर्णय पारित कर, पक्षकारों के अधिकारों का न्याय निर्णयन करते है।

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बालेसर में इस अपील में प्रत्यर्थीगण सं. 01 व 02 द्वारा वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं सपठित धारा 151 सीपीसी बाबत रेकर्ड दुरूस्ती घोषणा खातेदारी स्थाई निषेधाज्ञा का प्रकरण सं. 04/2011 (2011/00039) बअनवान मांडूदेवी व अन्य बनाम खुशालाराम व अन्य में निर्णय दिनांक 11.08.2025 में इस अपील के प्रत्यर्थीगण मांडू देवी एवं मोहनी देवी को हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत हुक्माराम के प्रथम श्रेणी के विधिक वारिसान एवं खुशालाराम को गोदपुत्र घोषित करने डिक्री जारी कर

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

प्रत्येक का हिस्सा बराबर 1/3–1/3 नाम वादग्रस्त आराजी में दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये गये है।

चूंकि उक्त चारो अपील में अपीलाधीन नामांतरकरण तहसीलदार चामू द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखंड अधिकारी बालेसर के निर्णय/डिक्री दिनांक 11.08.2025 की अनुपालना में दिनांक 20.08.2025 को स्वीकृत किया गया है जो विधिसम्मत है जिंसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं होने से इस न्यायालय के विनम्र मत में अपीलाधीन नामांतरकरणों पर तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.08.2025 में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। यह न्यायालय, इन विचाराधीन चारों अपील में अपीलान्ट्स तथा प्रत्यर्थीगण के हक–हकों/हिस्सों का निर्धारण करने में सक्षम नहीं है।

इसी प्रकार न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर में अपील सं. 210/2025 खुशालाराम बनाम माडुदेवी व अन्य, 242/2025 अनवान भीखाराम व अन्य बनाम माडूदेवी व अन्य, 247/2025 माडूदेवी व अन्य बनाम खुशालाराम अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बालेसर का निर्णय/डिक्री दिनांक 11.08.2025 से व्यथित होकर पेश की गई, जिसमें राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर के निर्णय दिनांक 19.03.2026 के अनुसार न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बालेसर के निर्णय/डिक्री दिनांक 11.08.2025 को यथावत रखते हुए अपील को सारहीन होने से खारिज कर दिया गया है। अतः न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बालेसर का निर्णय/डिक्री दिनांक 11.08.2025 आज भी प्रभावशील है।

इसी प्रकार अपीलांट्स अधिवक्ता द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर के निर्णय दिनांक 19.03.2026 को अपीलेट न्यायालय द्वारा स्थगित करने का कोई आदेश हमारे समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है। फलस्वरूप उपखण्ड अधिकारी बालेसर के निर्णय एवं डिक्री की पालना में राजस्व अभिलेखो में किये गये इन्द्राजात आज भी प्रभावशील है तथा ऐसे इन्द्राजो को रिकार्ड में यथावत रखना न्यायोचित है।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेखों के अवलोकन एवं उभय पक्षकारो के तर्को पर विचारोपरांत यह पाया जाता है कि न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बालेसर के निर्णय एवं डिक्री की पालना में अपीलाधीन चारों नामान्तरकरण, जो तहसीलदार चामू द्वारा स्वीकृत किये गये है, में इन्द्राज सही व वैध है। उपर्युक्त विवेचनानुसार अपीलाधीन नामांतरकरणो को अपास्त करने हेतु प्रस्तुत उक्त चारों अपीले सारहीन व बलहीन होने से खारिज योग्य है।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

आदेश

13. परिणामतः उपर्युक्त विस्तृत विवेचनानुसार अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपीलें–

A. **अपील संख्या 168/2025 (2025/463) (भीखाराम वगैरा बनाम श्रीमती माडू देवी वगैरा)** सारहीन व बलहीन होने से अस्वीकार की जाती है तथा ग्राम मूलजी का बेरा में दर्ज नामान्तरकरण संख्या 786 पर तहसीलदार चामू द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.08.2025 की पुष्टि की जाती है।

B. **अपील संख्या 169/2025 (2025/464) (भीखाराम वगैरा बनाम श्रीमती माडू देवी वगैरा)** सारहीन व बलहीन होने से अस्वीकार की जाती है तथा ग्राम सारण नगर में दर्ज नामान्तरकरण संख्या 357 पर तहसीलदार चामू द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.08.2025 की पुष्टि की जाती है।

C. **अपील संख्या 187/2025 (2025/501) (भीखाराम वगैरा बनाम श्रीमती माडू देवी वगैरा)** सारहीन व बलहीन होने से अस्वीकार की जाती है तथा ग्राम चामू में दर्ज नामान्तरकरण संख्या 2529 पर तहसीलदार चामू द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.08.2025 की पुष्टि की जाती है।

D. **अपील संख्या 188/2025 (2025/502) (भीखाराम वगैरा बनाम श्रीमती माडू देवी वगैरा)** सारहीन व बलहीन होने से अस्वीकार की जाती है तथा ग्राम बगतानगर में दर्ज नामान्तरकरण संख्या 324 पर तहसीलदार चामू द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.08.2025 की पुष्टि की जाती है।

14. निर्णय की प्रति के साथ मूल अभिलेख तहसीलदार चामू को भेजा जावे।

15. पत्रावली बाद तामिल व तकमील फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। नम्बर से कम हो।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

निर्णय आज दिनांक 27.03.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर